

प्राथमिक डिगरी वुमकदमें इवतदाई  
(ऑ. 21 रूल 6.7 जाव्ता दिवानी)  
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम भीम  
वईजलास- श्री दूदाराम आर.ए.एस.

वादीगण:- श्री अजयपालसिंह पुत्र केशरसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द	वनाम	प्रतिवादीगण :- 01.श्री नारायण लाल पुत्र वालुराम गुर्जर निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा 02.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम
---	------	---


दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

मुकदमा नम्बर 16/2025 रे0वाद

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी वादी अधिवक्ता एवं अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलास को डिगरी दी जाती है कि वाद पत्र के विन्दु संख्या 01 में वर्णित आराजी मौजा ग्राम कुण्डाल की गुआर पटवार हल्का गोदाजी का गांव तहसील भीम जिला राजसमंद के खाता संख्या 496 में वर्णित खसरा नम्बर 8703 कुल कित्ता 01 रकबा 0.1457 है0 भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादी 1/2 -1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। तदनानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन वाबत राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं BY METES & BOUNDS के आधार पर स्थाई संरचनाओं को छोड़ते हुए विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1956 के नियम 18 से 22 की पालना करते हुये वमाह में पेश करें।

वसीव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.06.2025 को जारी की गई।



  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भीम  
जिला - राजसमन्द